



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092026-276170
CG-DL-E-14092026-276170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4877]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948

No. 4877]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

का.आ. 5067(अ).— संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के 51) की धारा 10 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा भुगतान के निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

- रुपे द्वारा चालित डेबिट कार्ड; और
- 2000 रुपये तक का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) संव्यवहार

2. कोई भी बैंक या सेवा प्रदाता, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उपर्युक्त पैरा में विनिर्दिष्ट भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने पर किसी व्यक्ति पर कोई प्रभार अधिरोपित नहीं करेगा।

[फा. सं. 01/05/2025-डीपी-डीएफएस]

सौरभ कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2026

S.O. 5067(E).— In exercise of the powers conferred by section 10 A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Central Government hereby specifies the following electronic modes of payment, namely:—

- (i) Debit Card powered by RuPay; and
- (ii) Unified Payments Interface (UPI) transactions upto Rs. 2,000.

2. No bank or system provider shall impose, whether directly or indirectly, any charge upon a person making or receiving a payment by using the electronic modes of payment specified in paragraph above.

[F. No. 01/05/2025-DP-DFS]
SAURABH KUMAR, Jt. Secy.